भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं 4313

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एएमआई योजना के माध्यम से भांडागार/गोदामों का निर्माण

4313. **श्री अरविंद गणपत सावंतः**

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) योजना या नैफेड के माध्यम से भांडागार/गोदामों का निर्माण करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के अभाव में महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के सोयाबीन किसानों को कटाई के बाद फसल का नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो अनुमानित नुकसान कितना है और इससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को होने वाले ऐसे नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) का कार्यान्वयन कर रही है, जो एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना है, जिसके अंतर्गत राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गोदामों/वेयरहाउसों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार पात्र लाभार्थी की श्रेणी के आधार पर परियोजना की पूंजीगत लागत पर 25% और 33.33% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है। यह सहायता व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूहों, कृषि उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है। यह योजना माँग-आधारित है।

(ग) एवं (घ): महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में एएमआई के तहत 6 भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 21,027 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता सृजित हुई और कुल 36.75 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई। इसके अतिरिक्त, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत 30 जून, 2025 तक 18.40 करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ 20 गोदाम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एआईएफ और एएमआई जैसी योजनाओं के तहत किए गए प्रयासों से वैज्ञानिक भंडारण की वृद्धि में काफी सुधार हो रहा है, जिससे संभावित फसल क्षति का जोखिम कम हो रहा है और बाजार के प्रति तैयारी में सुधार हो रहा है।

(ड.): फसलोपरांत होने वाले नुकसानों से निपटने के लिए, एएमआई और एआईएफ के अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:-

(i) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत भंडारण सुविधाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले शीत भंडारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कोल्ड स्टोरेज के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

(ii) किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) फसलोपरान्त होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सामूहिक शक्ति, संसाधन और बेहतर प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों तक पहुंच प्रदान करके किसानों की मदद करते हैं। "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना में, 10,000 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।

(iii) इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) फसलोपरान्त इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक अम्ब्रेला योजना - पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन करता है, ताकि फसलोपरान्त नुकसान को कम करने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसलोपरान्त होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए शीतगृह और प्रशीतित वाहन भी शामिल हैं।

*****